संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 मई, 2022

विषय: आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति हेतु निर्गत स्थायी नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 28.07.2021 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 के प्रस्तर-1, प्रस्तर-2(ख), प्रस्तर-2(च) एवं प्रस्तर-2(छ) में सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधन किये जाने एवं प्रस्तर-12 को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे:-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2
प्रस्तर संख्या	शासनादेश दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 28.07.2021 में पूर्व स्थापित प्रावधान	स्थापित नियम में संशोधित प्रावधान
1	श्री राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (08 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल), मजदूर दिवस (01 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त), एवं गॉधी जयन्ती (02 अक्टूबर) के अवसरों पर उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूध्द सिद्धदोष बन्दियों के दण्ड को निम्नानुसार लघुकृत करते हुए रिहा किये जाने हेतु स्थायी नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।	श्री राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (08 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल), मजदूर दिवस (01 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त), शिक्षक दिवस (05 सितम्बर), गॉधी जयन्ती (02 अक्टूबर), अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (16 नवम्बर), एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर) के अवसरों पर उत्तर प्रदेश के मा0 न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूध्द सिद्धदोष बन्दियों के दण्ड को निम्नानुसार लघुकृत करते हुए रिहा किये जाने हेतु स्थायी नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2(ख)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है एवं विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।	2(ख) आजीवन कारावास की सजा दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।
2(च)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-xiii में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं हैं तथा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो एवं विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार सजा एवं 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।	2(च) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-xiii में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा उनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार सजा एवं 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।
2(छ)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-(vi), (viii) अथवा (ix) से आच्छादित हैं उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो एवं विचाराधीन अवधि सहित 25 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।	2(छ) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-(vi), (viii) अथवा (ix) से आच्छादित है उनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 25 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।
12	-	स्थायी नीति के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे पात्र सिद्धदोष बन्दी जिनकी समयपूर्व रिहाई से लोक व्यवस्था/ जनहित प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे बन्दियों का रिहाई प्रस्ताव समिति द्वारा निरस्त किया जायेगा।
	उक्त शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।	

3- अतः शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01.08.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-52/2022/1240(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- समस्त प्रान्तों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
10- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11- महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश।
17- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
18- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 — लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2021

विषय: आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में स्थायी नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01.08.2018 के प्रस्तर-1, प्रस्तर-2(ख), प्रस्तर-2(ग), प्रस्तर-2(च), प्रस्तर-3(प्रतिबन्धित श्रेणी)(i)(ix)(xiii) प्रस्तर-4, 5, 6, 7, 8 एवं प्रस्तर-10 में सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे:-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2
प्रस्तर संख्या	शासनादेश दिनांक 01.08.2018 में पूर्व स्थापित प्रावधान	स्थापित नियम में संशोधित प्रावधान
1	श्री राज्यपाल महोदय भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों के दण्ड को निम्नानुसार लघुकृत करते हुए रिहा किये जाने हेतु निम्न नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।	श्री राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद- 161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (08 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल), मजदूर दिवस (01 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त), एवं गॉधी जयन्ती (02 अक्टूबर) के अवसरों पर उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों के दण्ड को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत:इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		निम्नानुसार लघुकृत करते हुए रिहा किये जाने हेतु स्थायी नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2(ख)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।	2(ख) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूद्ध ऐसे समस्त पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है एवं विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।
2(ग)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित, समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं हैं तथा जो निम्न में से किसी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके सम्बन्ध में उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195 में प्राविधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र दिया गया है और जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो:- 1- Advanced bilateral pulmonary tuberculosis 2- Incurable malignancy 3- Incurable Blood diseases 4- Congestive heart failure 5- Chronic epilepsy with mental degeneration 6- Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer 7- Total blindness of both eyes 8- Incurable paraplegias and hemiplegics 9- Advanced Parkinsonism	2(ग) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूद्ध ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जो निम्नलिखित किसी भी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके सम्बन्ध में उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195,196 एवं 197 में प्राविधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित बीमारी से ग्रसित होने का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र दिया गया हो। 1- Advanced bilateral pulmonary tuberculosis 2- Incurable malignancy 3- Incurable Blood diseases 4- Congestive heart failure 5- Chronic epilepsy with mental degeneration 6- Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer 7- Total blindness of both eyes 8- Incurable paraplegias and hemiplegics 9- Advanced Parkinsonism

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत:इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	10- Brain Tumor 11- Incurable Aneurysms 12-Irreversible Kidney failure	10- Brain Tumor 11- Incurable Aneurysms 12- Irreversible Kidney failure 13- Any other terminal disease.
2(च)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-Xiii में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं हैं तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार तथा 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।	**2(च)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूद्ध ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-xiii में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं हैं तथा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो एवं विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार सजा एवं 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो। **2(छ)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूद्ध ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-(vi), (viii) अथवा (ix) से आच्छादित हैं उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो एवं विचाराधीन अवधि सहित 25 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।
3 (प्रतिबन्धित श्रेणी)	**(i)** आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनके द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। **(ix)** आजीवन कारावास से दण्डित, ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जिन्होंने निरूद्धि अवधि के दौरान जेल से पलायन किया हो।	**(i)** निरस्त **(ix)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित, ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जिन्होंने निरूद्धि अवधि के दौरान जेल अथवा पुलिस अभिरक्षा से पलायन किया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(xiii) ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा-363ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण), 364 (हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण), 364ए (मुक्ति धन आदि के लिये व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को अपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना), 366ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366ब (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण), 368 (अपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना), 369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंण्डित किये गये हों।	(xiii) आजीवन कारावास से दण्डित, ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा-363ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण), 364(हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण), 364ए (मुक्ति धन आदि के लिये व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत या उत्प्रेरित करना), 366ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366ब (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण), 368 (व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना), 369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिए दण्डित किये गये हों।
4	समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेंगे एवं पात्र समस्त बंदियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी	4-समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक, कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेंगे एवं पात्र समस्त बंदियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत:इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेंगे।	समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को प्रस्तर-1 में अंकित रिहाई हेतु निर्धारित दिवस के 90 दिन पूर्व, उपलब्ध कराया जायेगा।
5	बन्दियों की आयु एवं सजा की गणना आगामी वर्ष की 26 जनवरी के अनुसार की जायेगी।	5- बन्दियों की आयु एवं सजा की गणना प्रस्तर-1 में अंकित रिहाई हेतु निर्धारित दिवस के अनुसार की जायेगी।
6	परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार समस्त प्रस्तावों का नीति के आलोक में परीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित कराते हुए कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नहीं है, प्रस्ताव दिनांक 15 नवम्बर तक महानिरीक्षक, कारागार को उपलब्ध करायेंगे।	6- परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार समस्त प्रस्तावों का नीति के आलोक में परीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित कराते हुए कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नहीं है, प्रस्ताव रिहाई हेतु निर्धारित दिवस के 75 दिन पूर्व, महानिरीक्षक, कारागार को उपलब्ध करायेंगे।
7	महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 नवम्बर तक प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिया जायेगा।	7- महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुए शासन को प्रस्तर-1 में अंकित रिहाई हेतु निर्धारित दिवस के 45 दिन पूर्व, उपलब्ध करायेंगे।
8	शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त संस्तुतियों के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:- (क) प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0 प्र0 शासन- अध्यक्ष। (ख) सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-सदस्य (ग) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0- सदस्य सचिव (घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,	8- शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त संस्तुतियों के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:- (क) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0 प्र0 शासन- अध्यक्ष (ख) सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-सदस्य (ग) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0- सदस्य सचिव (घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0 प्र0 शासन द्वारा नामित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	उ0प्र0 शासन- सदस्य समिति द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति शासन को प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जायेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।	विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन- सदस्य समिति द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तर-1 में अंकित रिहाई हेतु निर्धारित दिवस से 30 दिन पूर्व प्रस्तुत की जायेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
10	उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बन्दी रिहा हो जाता है, जिसका अपराध राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसी श्रेणी का है, जिसके लिए न्यायालय द्वारा दी गयी सजा पूर्णरूप से भुगतनी चाहिए, तो शासन ऐसे बन्दी की सजा में दी गई छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिए पुनः कारागार में निरूद्ध कर सकेगा।	10. इस स्थाई नीति के अन्तर्गत किसी बन्दी की समयपूर्व रिहाई के प्रकरण के विचारण के दौरान यदि उसके अपराधिक इतिवृत एवं कारागार आचरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के संज्ञान में कोई प्रतिकूल तथ्य आता है तो न्यायहित में उसके रिहाई प्रस्ताव को सकारण निरस्त किया जा सकता है। 11- इस स्थायी नीति के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बन्दी रिहा हो जाता है जिसका अपराध ऐसी श्रेणी का हो जिसके लिये उसे मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा पूर्ण रूप से भुगतनी चाहिए तो शासन ऐसे बन्दी की सजा में दी गयी छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिये कारागार में निरूद्ध कर सकेगा।

3- अतः शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01.08.2018 को उक्त सीमा अवधि तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-120/2021/1382(1)/22-2-2021 तददिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- समस्त प्रान्तों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
10- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश।
17- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
18- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत:इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊः दिनांक 01 अगस्त, 2018*

विषयः- आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों की प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में स्थाई नीति।

महोदय,

आजीवन कारावास से दण्डित होने की दशा में बंदियों के लंबी अवधि से कारागार में निरूद्धि के कारण न केवल प्रदेश की कारागारों में ओवर क्राउडिंग की स्थिति उत्पन्न होती है वरन् बंदियों में हताशा व कुण्ठा भी पनपती है जिससे आपराधिक न्याय व्यवस्था, बंदी सुधार एवं पुनर्वास का उद्देश्य प्रभावित होता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं मा0 न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों की समयपूर्व रिहाई किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर समीक्षा करने व स्थाई नीति बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-6041/2018, चन्द्रासी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.04.2018 को दिये गये अपने निर्णय में सिद्वदोष बंदियों की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनाने की अपेक्षा राज्य सरकार से की है। अतः आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्वदोष बंदियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्थाई नीति बनाये जाने की आवश्यकता है।

कारागार विभाग के आदेश संख्या- 491/22-2-2018-7 जी/2018 दिनांक 03.04.2018 द्वारा इस सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर उ0प्र0 के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्वदोष बंदियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में निम्नवत् स्थाई नीति निर्धारित की जाती हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. श्री राज्यपाल महोदय भारत के संविधान के अनुच्छेद -161 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूद्ध सिद्वदोष बंदियों के दण्ड को निम्नानुसार लघुकृत करते हुये रिहा किये जाने हेतु निम्नानुसार नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2 (क). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त महिला सिद्वदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की अपरिहार तथा 16 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

2 (ख). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सभी पुरूष सिद्वदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

2 (ग). आजीवन कारावास की संजा से दण्डित ऐसे सिद्वदोष बंदी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जो निम्न में से किसी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके संबंध में उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर संख्या- 195 में प्रावधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो और जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो:-

1- Advanced bilateral pulmonary tuberculosis
2- incurable malignancy
3- Incurable Blood diseases
4- Congestive heart failure
5- Chronic epilepsy with mental degeneration
6- Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer
7- Total blindness of both eyes
8- Incurable paraplegias and hemiplegics
9- Advanced Parkinsonism
10- Brain Tumor
11- Incurable Aneurysms
12- Irreversible Kidney failure

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2 (घ). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 12 वर्ष की अपरिहार तथा 14 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

2 (ङ). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

2 (च). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के उपनियम-**xiii** में वर्णित अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नही है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार तथा 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

3. <u>प्रतिबन्धित श्रेणी</u>

(i) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है,

(ii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो।

(iii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से जीवन-पर्यन्त कारागार में निरूद्ध हेतु आदेशित किया है अथवा आजीवन कारावास से दण्डित समस्त ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट समय निर्धारित कर निरूद्ध हेतु आदेशित किया गया है।

(iv) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके वाद का अन्वेषण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946(1946 का सं. 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिये सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था।

(v) ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया है जिनमें से कुछ उन विषयों से सम्बन्धित हैं जिनपर संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे साथ-साथ भोगे जाने वाली पृथक-पृथक अवधि के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कारावास का दण्डादेश दिया गया है, उसके सम्बन्ध में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश तभी प्रभावी होगा जब किये गये अपराधों के सम्बन्ध में ऐसे दण्डादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है।

(vi) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे सामूहिक नरसंहार (तीन या तीन से अधिक हत्याएं) की घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों में दोषसिद्व किया गया हो।

(vii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो निरूद्वि की अवधि में विगत 02 वर्ष के दौरान उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर- 814 के अन्तर्गत चेतावनी से भिन्न किसी भी लघु दण्ड से और विगत 05 वर्षो के दौरान उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर- 815 के अन्तर्गत किसी भी वृहद दण्ड से कारागार प्रशासन द्वारा दण्डित किए गये हों।

(viii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्हें पैरोल/गृह अवकाश के दौरान किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।

(ix) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्होने निरूद्वि अवधि के दौरान जेल से पलायन किया हो।

(x) ऐसे सिद्वदोष बंदी जिन्हें एक से अधिक अपराधिक प्रकरणों में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

(xi) ऐसे सिद्वदोष बंदी जो भारतीय नागरिक नही हैं।

(xii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे निम्न अधिनियमों के तहत दोषसिद्व किया गया हो:-

- नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985
- आतंकवादी और विध्वंशकारी क्रियाकलाप अधिनियम 1997
- आतंकवादी गतिविधि प्रतिषेध अधिनियम, 2002
- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं0 61)
- स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988(1988 का सं0 42)
- सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का सं 52)
- शासकीय गुप्त वार्ता अधिनियम 1923

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- विदेशियों विषयक अधिनियम 1946
- विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974
- लैगिंक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 **(POCSO ACT 2012)**

(xiii) ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा-363 ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण), 364 (हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण), 364 ए (मुक्ति-धन आदि के लिये व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवष करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना), 366 ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366 ब (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देष्य से व्यपहरण या अपहरण), 368(व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना),369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आषय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये गये हों।

(xiv) पेशेवर हत्यारे जो भाड़े पर हत्या करने के दोषी पाये गये हों।

(xv) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-121 से 130 के अन्तर्गत राज्य के खिलाफ युद्ध करने या युद्ध का प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने के दोषी पाये गये हों।

(xvi) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो सरकारी सेवक की कर्तव्य पालन के दौरान उसकी हत्या के दोषी हों।

4. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बंदियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेगें एवं पात्र समस्त बंदियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें।

5. बंदियों की आयु एवं सजा की गणना आगामी वर्ष की 26 जनवरी के अनुसार की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार समस्त प्रस्तावों का नीति के आलोक में परीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित कराते हुए कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नहीं है, प्रस्ताव दिनांक 15 नवंबर तक महानिरीक्षक कारागार को उपलब्ध करायेगें।

7. महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुये प्रस्ताव शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 नवंबर तक प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिया जायेगा।

8. शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त संस्तुतियों के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:

(क) प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- **अध्यक्ष**

(ख) सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- **सदस्य**

(ग) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0- **सदस्य सचिव**

(घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन- **सदस्य**

समिति द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्वदोष बंदियों की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जायेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

9. उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्वदोष बंदियों को इस शर्त पर कारागार से मुक्त किया जायेगा कि वह विधि सम्मत आचरण बनाये रखने के लिये रूपया 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपनी मुक्ति से पूर्व संबंधित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

10. उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बंदी रिहा हो जाता है, जिसका अपराध राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसी श्रेणी का है, जिसके लिये न्यायालय द्वारा दी गयी सजा उसे पूर्ण रूप से भुगतना चाहिये, तो शासन ऐसे बंदी की सजा में दी गयी छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिये उसे पुनः कारागार में निरूद्व कर सकेगा।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-564/2018/1106(1)/22-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- समस्त प्रान्तो/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6- प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
10- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश।
17- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
18- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 1658/22-2-2004-25(94)/97

प्रेषक,

राकेश कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखऊ ।
2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0 ।
3- समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।
4- समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारी, उ0प्र0 ।
5- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, आदर्श कारागार/केन्द्रीय कारागार/जिला कारागार, उ0प्र0।

कारागार प्रशासन वं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 6 सितम्बर, 2004

विषयः- कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई हेतु फार्म-ए, नामिनल रोल तथा इनफरमिटी रोल पर विचारण/निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही ।

महोदय,

उपर्युक्त वि के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196 व 197 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल तथा प्रस्तर-198 के अन्तर्गत नामिनल रोल एवं यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोवेशन एक्ट,1938 के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के मामलों पर विचारण एवं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गये है :-

1- नामिनल रोल के आधार पर सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई हेतु बन्दी की पात्रता होने पर पात्रता तिथि पूरी होने के एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित कारागार अधीक्षक द्वारा बन्दी का नामिनल रोल निकालकर, सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए उसे न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

2- फार्म-ए पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में बन्दी की पात्रता तिथि के तीन माह पूर्व से ही बन्दी का अभिभावक नामित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कारागार अधीक्षक द्वारा प्रारम्भ कर दी जायेगी, ताकि पात्रता होने पर अभिभावक की सहमति उपलब्ध रहे । पात्रता होने के एक सप्ताह के भीतर बन्दी का फार्म-ए सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा जिला प्रोवेशन अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

3- नामिनल रोल/ फार्म-ए प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक तथा जिला प्रोवेशन अधिकारी (यथा स्थिति) द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति सहित नामिनल रोल/ फार्म-ए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

4- पुलिस अधीक्षक तथा जिला प्रोवेशन अधिकारी की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति सहित नामिनल रोल/फार्म-ए महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित कर दिये जायेंगे ।

5- जिला मजिस्ट्रेट से नाभिनल रोल/फार्म-ए प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर महानिदेशक, कारागार की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति/प्रोबेशन बोर्ड द्वारा इस पर विचार किया जायेगा तथा सलाहकार समिति/प्रोवेशन बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, कारागार द्वारा शासन को तत्काल उपलब्ध करा दिये जायेगें ।

6- उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196 व 197 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल के आधार पर सिद्धदोष बन्दियों के समयपूर्व रिहाई की पात्रता की श्रेणी में आने पर बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में तत्परतापूर्वक कार्यवाही निम्नवत की जायेगी :-

(I) जेल मैनुअल के प्रस्तर-195 के अन्तर्गत कारागार अधीक्षक द्वारा बीमारी के आधार पर रिहाई हेतु पात्र बन्दियों का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण 15 दिन के अन्दर अनिवार्यतः करा लिया जायेगा तथा बन्दी का इनफरमिटी रोल मेडिकल बोर्ड की संस्तुति एवं मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को अगले 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा । पुलिस अधीक्षक अपनी संस्तुति अंकित करते हुए इनफरमिटी रोल सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को 01 सप्ताह के भीतर प्रेषित कर दिया जायेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या संस्तुति सहित इनफरमिटी रोल को सम्बन्धित कारागार अधीक्षक को 01 सप्ताह के भीतर वापस कर दिया जायेगा । कारागार अधीक्षक द्वारा इनफरमिटी रोल मेडिकल बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति तथा न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित महानिदेशक, कारागार को 01 सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिया जायेगा । महानिदेशक, कारागार द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

(II) जेल मैनुअल के प्रस्तर-196 के अन्तर्गत सम्बन्धित कारागार अधीक्षक द्वारा अधिक आयु, अंग शैथिल्य अथवा बीमारी के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु पात्र बन्दियों को परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड के [illegible] से प्रस्तुत किया जायेगा । मेडिकल बोर्ड की संस्तुति प्राप्त कर इनफरमिटी रोल मा0 न्यायलय के निर्णय की प्रति सहित महानिदेशक, कारागार को 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिया जायेगा । महानिदेशक, कारागार द्वारा जिन मामलों को राज्य सरकार के निर्णय हेतु उपयुक्त समझा जाय, उन्हें सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को उनकी आख्या एवं संस्तुति हेतु 01 सप्ताह के भीतर प्रेषित/सन्दर्भित कर दिया जायेगा । पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति सहित इनफरमिटी रोल सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिया जायेगा । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या एवं संस्तुति सहित इनफरमिटी रोल महानिदेशक, कारागार को 01 सप्ताह के भीतर प्रेषित कर दिया जायेगा। महानिदेशक, कारागार द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा ।

(III) जेल मैनुअल के प्रस्तर-197 के अन्तर्गत घातक बीमारी से पीड़ित ऐसे बन्दियों जिनकी मृत्यु 03 माह के भीतर सम्भावित हो, के चिन्हित होने के 01 सप्ताह के भीतर उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कारागार अधीक्षक द्वारा कराया जायेगा तथा बन्दी का इनफरमिटी रोल मेडिकल बोर्ड की संस्तुति एवं मा0 न्यायालय की प्रति सहित सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को अगले 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा । पुलिस अधीक्षक अपनी संस्तुति अंकित करते हुए इनफरमिटी रोल सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को 01 सप्ताह के भीतर प्रेषित कर दिया जायेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या संस्तुति सहित इनफरमिटी रोल को सम्बन्धित कारागार अधीक्षक को 01 सप्ताह के भीतर वापस कर दिया जायेगा । कारागार अधीक्षक द्वारा इनफरमिटी रोल मेडिकल बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति तथा न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित महानिदेशक, कारागार को 01 सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिया जायेगा । महानिदेशक, कारागार द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

7- महानिदेशक, कारागार से प्रस्ताव शासन में प्राप्त होने पर प्रशासकीय अनुभाग द्वारा परीक्षण करते हुए इन्हें एक सप्ताह में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

8- बन्दियों के नामिनल रोल तथा फार्म-ए पुनः निकाले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव महानिदेशक, कारागार द्वारा अपनी संस्तुति सहित शासन की अनुमति हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत किये जायेंगे :-

(I) पूर्व में बन्दी का नामिनल रोल/फार्म-ए शासन द्वारा अस्वीकार किये जाने के उपरान्त 03 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गयी हो ।

(II) इस बीच बन्दी कारागार से अनधिकृत रूप से बाहर न रहा हो ।

(III) इन अवधि में बन्दी द्वारा जेल अनुशासन का पालन किया गया हो तथा उसका आचरण संतोषजनक रहा हो ।

9- उपर्युक्तानुसार समयपूर्व रिहाई के मामलों में दण्ड प्रकिया संहिता,1973 की धारा-433-ए के प्राविधान का पालन किया जायेगा ।

2- सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्व विचार किये जाने पर बल दिया गया है :-

(1) क्या सम्बन्धित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है ?

(2) क्या बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का कोई अवसर है ?

(3) क्या सिद्धदोष बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त हो गया है,

(4) क्या बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का कोई सार्थक प्रयोजन है ?

(5) बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त है ?

नामिनल रोल/फार्म-ए/इनफरामटी रोल के आधार पर सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति देते समय पूर्व निर्धारित प्रारूप के बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त बिन्दुओं पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और तत्पश्चात ही अपनी आख्या/संस्तुति अंकित की जायेगी । जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा यदि बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया जाता है अथवा संस्तुति नहीं की जाती है, तो इसके आधारभूत कारणों का स्पष्ट उल्लेख अपनी आख्या में किया जायेगा । समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने अथवा विरोध किये जाने के जो भी कारण अंकित किये जायं, उनके युक्तियुक्त आधार और उनके सम्बन्ध में की गयी छानबीन अथवा पूछताछ का भी स्पष्ट उल्लेख आख्या में किया जायेगा । बन्दियों की समयपूर्व रिहाई का विरोध नितान्त सरसरी तौर पर तथा केवल विरोध के लिए विरोध नहीं किया जायेगा ।

फार्म-ए के आधार पर रिहाई के प्रकरणों में बन्दी द्वारा नामित अभिभावक को यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुपयुक्त पाया जाता है तो अनुपयुक्तता का आधार जिला मजिस्ट्रेट की आख्या में स्पष्ट किया जायेगा तथा विकल्प स्वरूप जिला प्रोवेशन अधिकारी को अभिभावक नामित किये जाने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपना अभिमत स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा ।

3- रिहाई के लिए पात्र सिद्धदोष बन्दियों के फार्म-ए, नामिनल रोल तथा इनफरामिटी रोल के विभिन्न मामले महानिदेशक, कारागार, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक तथा जिला प्रोवेशन अधिकारी के स्तर पर इस समय लम्बित है । इन प्रकरणों में ऐसे बन्दियों के प्रकरण भी शामिल है जिनके द्वारा 14 वर्ष की सजा काट ली गयी है तथा इन बन्दियों में से कतिपय बन्दी 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के हो गये है। अतः ऐसे प्रकरणों की छानबीन/जांच पड़ताल विहित प्राधिकारियों द्वारा अपने स्तर से अविलम्ब कर ली जाय तथा अपनी आख्या एवं संस्तुति सम्बन्धित जिला प्रोवेशन अधिकारी//वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जैसी भी स्थिति हो तत्काल अंकित की जाय । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण में आख्या एवं संस्तुति महानिदेशक, कारागार को विलम्बतम 15 दिन के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय । महानिदेशक, कारागार द्वारा यथा स्थिति सलाहकार समिति/प्रोवेशन बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को विलम्बतम 15 दिन के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय ।

भवदीय,

(राकेश कुमार मित्तल)
प्रमुख सचिव, कारागार ।

<u>संख्या 1658 (1)/22-2-2004 तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2- मुख्य प्रोवेशन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 ।
4- विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- अनु सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग- 1, 2, 3 एवं 4
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)
विशेष सचिव ।

पत्र प्राप्त सं०
दिनांक 01. X. 04
प्र0 A. R.
ह0

संख्याः 660 / 22–2–2005–17(346) / 92

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ ।
2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।
3– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5– समस्त वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2005

विषयः– भारत के संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत क्षमादान देने, सजा घटाने या सजा में अन्य प्रकार की कटौती किये जाने हेतु मृत्यु दण्ड से अतिरिक्त दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रकिया का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत समयपूर्व मुक्ति अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती हेतु सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु राज्यपाल महोदय संविधान के अनुच्छेद–162 में प्रदत्त शक्ति के अधीन निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित करने का आदेश देते हैं :–

1– भारत के संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत समयपूर्व मुक्ति अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती हेतु सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :–

(i) प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन – अध्यक्ष
(ii) सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन– सदस्य
(iii) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन– सदस्य
(iv) महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश– सदस्य सचिव

क्रमशः.....2/

समिति द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत की जायेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

2— समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति हेतु प्राप्त दयायाचिकाओं पर विचार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर गहनता से विचार किया जायेगा :—

(I) बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा की अवधि ।
(II) बन्दी का जेल आचरण ।
(III) गृह अवकाश/पैरोल/जमानत अवधि में बन्दीका आचरण ।
(IV) बन्दी की आयु एवं स्वास्थ्य ।
(V) बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं अपराध की परिस्थितियां ।
(VI) न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश एवं उसमें इंगित संवीक्षाएं ।
(VII) क्या बन्दी तथा उसके परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति हेतु उपयुक्त है ?
(VIII) क्या बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त हो गया है ?
(IX) क्या बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित एकाकी अपराध की श्रेणी में आता है ?
(X) क्या बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने का कोई अवसर है ?
(XI) क्या बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का कोई सार्थक प्रयोजन है ?

3— समिति द्वारा सम्बन्धित कारागार जहाँ बन्दी निरूद्ध है, के अधीक्षक से जेल रिपोर्ट, सत्र न्यायालय/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित प्राप्त कर उपर्युक्त प्रस्तर—2 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुति प्रेषित की जायेगी ।

4— दयायाचिका प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित कारागार अधीक्षक द्वारा बन्दी की जेल रिपोर्ट महानिदेशक, कारागार को उपलब्ध करा दी जायेगी । अधीक्षक द्वारा जेल रिपोर्ट के साथ ही मा० सत्र न्यायालय/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा पृथक रूप से निम्न बिन्दुओं पर सूचना/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा :—

(I) बन्दी के नाम व पता के साथ उसकी आयु का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाय कि बन्दी किस अपराध से सम्बन्धित रहा है और अपराधिक घटना क्या है ?

(II) मा० न्यायालय के निर्णय का सारांश तथा मा० न्यायालय की यदि विशेष संविक्षा हो तो उसका विवरण ।

(III) जेल में बन्दी का आचरण कैसा रहा है, इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण ।

(IV) बन्दी की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु हो तो उस पर आख्या

क्रमशः 3/

5— वृद्धावस्था पूर्ण विकलांगता तथा असाध्य रोग ग्रस्तता के आधार पर स्थाई अशक्तता के बारे में तत्सम्बन्धित प्रकरणों पर समिति द्वारा निम्नलिखित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट/संस्तुति सम्बन्धित कारागार अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त की जायेगी :—

(I) मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

(II) जिला अस्पताल का ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक,

(III) समीपस्थ गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ,

(IV) समीपस्थ गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, जो कोई ज्येष्ठ हो, बोर्ड का चेयरमैन होगा तथा अन्य अधिकारीगण बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे । कारागार का चिकित्सा अधिकारी संयोजक होगा ।

6— समिति द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक से निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त की जायेगी :—

(I) बन्दी द्वारा कारित अपराध की परिस्थितियां एवं अपराध से सम्बन्धित विवाद तथा उनकी अद्यतन स्थिति ।
(II) बन्दी का पूर्व वृत्त एवं आचरण/पूर्व आपराधिक इतिहास ।
(III) बन्दी तथा उसके परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति ।
(IV) बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने के अवसर तथा उनका आधार ।
(V) बन्दी की समयपूर्व मुक्ति पर यदि आपत्ति है तो उसके स्पष्ट कारण व आधार ।
(VI) बन्दीके गृह अवकाश/पैरोल/जमानत की अवधि में उसका आचरण ।

7— समिति द्वारा ऐसे बन्दियों जिन्हें दयायाचिका के आधार पर मृत्यु दण्ड की सजा घटाने अथवा आजीवन कारावास को सीमित कारावास में बदलने का लाभ पूर्व में प्राप्त हो चुका है, की समयपूर्व रिहाई पर समिति द्वारा दयायाचिका पर विचार नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कोटि के बन्दियों की दयायाचिका पर समिति द्वारा सामान्यतः विचार नहीं किया जायेगा :—

(I) बलात्कार, डकैती तथा आतंकवाद से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित बन्दी ।
(II) पूर्व नियोजित एवं संगठित होकर हत्या के अपराध के लिए दण्डित बन्दी ।
(III) पेशेवर हत्यारे (किराये पर हत्या करने वाले बन्दी) ।
(IV) तस्करी के दौरान हत्या के लिए दण्डित बन्दी ।
( ) ड्यूटी के दौरान लोक सेवकों की हत्या के अपराध के लिए दण्डित बन्दी ।

8— समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी, किन्तु अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है ।

9— यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

भवदीय,
ह०/-
(जगजीत सिंह)
प्रमुख सचिव ।

क्रमशः....4/

संख्याः 660(1)/22–2–2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

2– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ।

3– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

4– प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन ।

5– समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।

7– समस्त परिक्षेत्रीय कारागार, उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)
विशेष सचिव ।